

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के एस.बी.सिविल याचिका सख्या-6664/18 दिनांक 02.04.2018 के सन्दर्भ में राजेश कुमार जैन प्र.अ.रामावि मिर्जापुर अलवर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्र.अ. से प्रधानाचार्य डीपीसी वर्ष 17-18 की रिक्तियों के प्रति पदौन्नति करने संबंधी मांग की गयी है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशो/परिपत्रो/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व इनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी का नाम प्र.अ. वर्ष 13-14 वरिष्ठता क्रमांक 431 पर नाम दर्ज है। इनके द्वारा प्र.अ.पद पर दिनांक 17.09.13 को कार्यग्रहण किया। इनसे कनिष्ठ देवेन्द्र यादव वरिष्ठता क्रमांक 432/13-14 पूर्व से पी.जी. होने के कारण प्रधानाचार्य पदौन्नति वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन किया गया है। राजेश कुमार की योग्यता एम.ए.-2014 का अंकन वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 20.02.18 के द्वारा हुआ है। योग्यता का अंकन 20.02.18 को होने के कारण इनका चयन 01.04.17 की रिक्तियों के विरुद्ध 2017-18 में होना संभव नहीं था ना ही उक्त तिथि को श्री जैन पात्रता रखते थे।

श्री जैन के योग्यता अंकन होने पर 01.04.18 को प्रधानाचार्य पद हेतु पात्र थे। इस कारण 18-19 की डीपीसी में इनका चयन प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य पद हेतु किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में उक्तनुसार सम्पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का अभिलेख परीक्षण एवं मनन करने के उपरान्त याचिकार्थी को राजेश कुमार जैन की 17-18 में पदौन्नति की मांग नियामानुकूल होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारीज किया जाकर निस्तारित किया जाता है सभी संबंधित सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक षिविरा/मा/सरथा/बी-III/या.स.6664/राजेश कुमार जैन/18/ दिनांक: 4-12-18  
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपशासन सचिव शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) मा0 जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, अलवर।
5. संबन्धित कार्मिक श्री राजेश कुमार जैन, चर्च कालोनी, किशनगढ बास, अलवर।
6. रक्षित प्रत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)